न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 328/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– गंगाराम पुत्र उदाराम 2– दुर्गाराम पुत्र उदाराम 3– खरथाराम पुत्र उदाराम 4–विरदाराम पुत्र उदाराम समस्त जातियान भील 5–आत्माराम पुत्र पोकरराम 6–अनोपाराम पुत्र दमाराम 7–कुम्पाराम पुत्र दमाराम अपी.सं. 4 से 7 जाति मेगवाल सभी निवासीगण धारासर का तलां, बायतू भीमजी, तहसील बायतू जिला बाडमेर		1– उम्मेदाराम पुत्र मंगलाराम 2– ताजाराम पुत्र मंगलाराम 3– अणदाराम पुत्र मंगलाराम समस्त जातियान भील निवासी रूगोडी, मेघवालो की ढाणी, बायतू भीमजी, तहसील बायतू जिला बाडमेर 4– भंवरारम पुत्र दमाराम जाति मेघवाल 5– जूंजाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट 6–सूराराम पुत्र अणदाराम जाति जाट 7–किस्तुराराम पुत्र पुराराम 8–सालूराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट 9–लाखाराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट 10–पदमाराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट 11–भूराराम पुत्र गुलाराम जाति जाट 12–नारणाराम पुत्र गुलाराम जाति जाट 13–सताराम पुत्र पेमाराम जाति जाट 14–बांकाराम पुत्र पीराराम जाति जाट 15–तुलछाराम पुत्र पीराराम जाति जाट 16–बाबूलाल पुत्र पीराराम जाति जाट 17–मालाराम पुत्र पीराराम जाति जाट 18–हरूराम पुत्र देवाराम जाति जाट 19–शेराराम पुत्र पेमाराम जाति जाट 20–आईदान पुत्र धोकलराम 21– गोरधनराम पुत्र धोकलराम 22– मेलाराम पुत्र तोगाराम 23– मालाराम पुत्र तोगाराम 24– पालू पत्नी तोगाराम रेस्पा.सं. 20 से 24 समस्त जातियान भील निवासीगण धारासर का तलां, बायतू भीमजी, तहसील बायतू जिला बाडमेर 25–राज0 राज्य जरिये तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26–5–2017 जो प्रकरण संख्या 251/2016 मे उपखण्ड अधिकारी बायतू द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 संख्या 1 से 24 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।
4– राजकीय अधिवक्ता तहसीलदार बायतु की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 30–8–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष ग्राम रूणोणी

मेघवालो की ढाणी के भूमि खसरा नंबर 719 रकबा 62 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 713 रकबा 0.03 बिस्वा, खसरा नंबर 725 रकबा 0.13 बिस्वा तथा खसरा नंबर 860/724 रकबा 45 बीघा 10 बिस्वा भूमि के चारो ओर मौके पर सीमाचिन्ह नही होना बताते हुए पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट मंगवाये तथा अपीलांट संख्या 7 जो प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी खसरा नंबर 719 का पडौसी खातेदार है जिसके खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 866/733 है जो खसरा नंबर 719 का पडौसी खातेदार होते हुए उसे पक्षकार बनाये बिना तथा अन्य अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–2017 को पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 96 सी.पी.सी.एवं धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि के खेतो तथा पडौसी खातेदारान वर्तमान रेस्पो0 1 से 3 के खातेदारी खेतो के बीच सौ वर्ष पुरानी माठ मोके पर बनी हुई है परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0गण ने गलत तथ्य प्रकट करते हुए अपने खातेदारी की भूमि के चारो ओर पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसमे वर्तमान अपीलांट संख्या 7 जो पडौसी खातेदार होते हुए उसे पक्षकार ही नही बनाया तथा अन्य अपीलांटगण संख्या 1 से 6 को एवं अन्य रेस्पो0गण को पक्षकार बनाया अवश्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि आदेशिका दिनांक 11–1–17 को विप्राथीगण के नोटिस तामिली इन्तजार के पत्रावली आगामी सुनवाई तिथी दिनांक 28–2–17 को रखी गई तथा दिनांक 28–2–17 को नोटिस बाद तामिल प्राप्त परंतु विप्राथीगण के अनुपस्थित रहने पर पत्रावली को बहस हेतु दिनांक 26–5–17 को रखी गई परंतु दिनांक 26–5–17 को पत्रावली नियमित कोर्ट मे नही रखते हुए पत्रावली को केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बायतु भीमजी मे लेजाकर विप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित कर दिया। वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका मे पत्रावली को केम्प कोर्ट मे रखने का कोई आदेश नही था और न ही अपीलांटगण को केम्प कोर्ट मे सुनवाई के संबंध मे कोई सूचना या नोटिस जारी किये गये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पारित कर दिया, जो नेचुरल जस्टिस के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांटगण ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के सलंग्न अपीलाधीन भूमि की

पैमाईश रिपोर्ट भी प्रस्तुत नही की गई जबकि बिना सीमाज्ञान के नेखमबंदी का सीधा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ही नही किया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांटगण ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के खेतो की सीमाचिन्ह नही होने का कथन किया गया था तो अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण करवाकर रिपोर्ट तलब करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परंतु मौके एवं सीमा की माठ के बारे मे बिना कोई रिपोर्ट तलब किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांटगण ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एकतरफा तथा अप्रार्थीगण को सुने बिना पारित किया होने से उक्त आदेश की जानकारी समय पर नही होने के कारण जानकारी होते ही इस न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर दी है इसलिए इस अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया तथा वर्तमान अपील के अपीलांट संख्या 7 को अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे पक्षकार ही नही बनाया जबकि वह पडौसी खातेदार है तथा अपीलाधीन आदेश से प्रभावित है इसलिए उसके द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी बाबत अपील पेश करने को अनुमति प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया । अंत मे वकील अपीलांटगण ने अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–2017 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से अप्राथीगणो को नोटिस जारी किये गये थे जिनका उल्लेख आदेशिका दिनांक 27–12–16 मे है तथा आदेशिका दिनांक 11–1–07 अनुसार नोटिस लोटकर अप्राप्त तथा पत्रावली तामिली इंतजार मे दिनांक 28–2–17 को रखी गई । दिनांक 28–2–17 की आदेशिका अनुसार अप्रार्थीगण के नोटिस बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने पर पत्रावली दिनांक 26–5–17 को बहस मे रखी गई थी तथा उक्त तिथी को बाद सुनवाई के जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील खारीज योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने राजकीय अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि धारा 5 मयाद अधिनियम का कोई आज तक लिखित मे खण्डन पेश नही किया है तथा अपीलाधीन निर्णय बिना सुनवाई के अवसर दिये पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से ऐसे आदेशो मे मयाद का बिन्दु गोण हो जाता है इसलिए अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उसकी आदेशिकाएं, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नोटिसेज आदि तथा अपीलाधीन निर्णय का भी अध्ययन किया । वर्तमान अपील मे

अपीलांट संख्या 7 जो कि अपीलाधीन भूमि का पडोसी खातेदार होने से उसे हितबद्ध पक्षकार मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–17 की प्रथम जानकारी दिनांक 20–6–18 को गांव मे पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलांट संख्या 2 को बताने पर होने का उल्लेख किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–5–17 को हो चुका था तो अपीलांटगण ने लगभग 11 माह की समयावधि मे अधीनस्थ न्यायालय से अपने प्रकरण की जानकारी हासिल क्यो नही की इसलिए मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्य संतोषजनक नही होने से अपीलांट की यह अपील मयाद बाहर होने से खारीज योग्य है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय से अप्राथीगणो को नोटिस जारी किये गये थे जिनका उल्लेख आदेशिका दिनांक 27–12–16 मे है तथा आदेशिका दिनांक 11–1–07 मे नोटिस लोटकर अप्राप्त एवं पत्रावली तामिली इंतजार मे दिनांक 28–2–17 को रखी गई । दिनांक 28–2–17 की आदेशिका अनुसार अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त परंतु अप्रार्थीगण बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने पर पत्रावली दिनांक 26–5–17 को बहस मे रखी, उस दिन भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, इसलिए अपीलांटगण का यह कथन भी समर्थन योग्य नही माना जा सकता कि उन्हे बिना नोटिस जारी किये एवं सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया हो ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील मयाद बाहर एवं गुणावगुण पर भी सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक 386 दिनांक 26–5–2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 30–8–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर